न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 118 / 2024

1. श्रीमति गुरमीत कौर पत्नि श्री फैयाज मोहम्मद
2. श्री सोहिब खान पुत्र स्व0 श्री फैयाज मोहम्मद

दोनों जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी 1016, सिमरन कोटेज, संजय नगर, दूध डेयरी के पीछे, खानपुरा अजमेर हाल निवासी मन्नत विला, मकान नं0 4, लाजरस लेन, क्रिश्चियन गंज, अजमेर

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मौहम्मद ईल्यास
2. श्री मौहम्मद मेहबूब

   पुत्रगण स्व0 श्री घम्मू, जाति व्यापारी मुस्लिम, निवासी ग्राम गगवाना, छातड़ी रोड़, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर
3. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गगवाना, तहसील व जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबन्धक
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर
5. उप पंजीयक, अजमेर

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मलिक तालूत, वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), अजमेर

आदेश

दिनांक – 19.01.2026

प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 20.12.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की ग्राम गगवाना, तहसील व जिला अजमेर में हाल खाता संख्या नया 710 पुराना 434 खसरा संख्या 3237/2435 रकबा 0.0800 हैक्टर व खसरा संख्या 3309/3249 रकबा 1.1195 हैक्टर पुश्तैनी सह खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजियात स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का पुश्तैनी/पैतृक हक हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजियात घम्मू पुत्र ईदू बक्श की तन्हा खातेदारी की आराजियात थी जिनके स्वर्गवास पश्चात उनके विधिक वारिसान फैयाज मौहम्मद (प्रार्थीगण के पति) एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 थे। फैयाज मौहम्मद का स्वर्गवास दिनांक 01.02.2018 को हो चुका है एवं प्रार्थीगण उसके विधिक वारिसान होने से वादग्रस्त आराजियात में उनका हक हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के ससुर एवं दादा घम्मू पुत्र ईदू बक्श की तन्हा खातेदारी की आराजियात थी, जिसे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने बिना प्रार्थीगण को सूचित किये आराजियात को जरिये दान/बख्शीशनामा दिनांक 11.07.2019 के द्वारा स्वयं के नाम निष्पादित करवाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 21.05.2020 अपने नाम दर्ज करवा ली, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 को कोई विधिक हक व अधिकार निहित

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

नहीं करता है। विवादित आराजियात घम्मू पुत्र ईदू बख्श के फौत होने पर प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 विधिक पुश्तैनी हक हिस्सा निहित करता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा जो अविधिक रूप से उपहार पत्र दिनांक 11.07.2019 को स्वयं के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है जो कि प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण के विधिक हक हिस्से पर शून्य होकर बातिल एवं बेअसर है। उक्त कूटरचित तरीके से निष्पादित उपहार पत्र से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 को वादग्रस्त आराजियात में कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जिससे उक्त अविधिक उपहार पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 21.05.2020 अविधिक होकर काबिल निरस्तनीय है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के नाम दर्ज होने से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के निहित 1/3 हक हिस्से में गैर कानूनी रूप से दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने तथा वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द करने, अन्यत्र रहन, बेचान व मुंतकिल करने एवं वादग्रस्त आराजियात को भूखण्डों में विभाजित कर बेचान करने पर सख्त आमादा है, जिन्हे यदि स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमाया गया तो प्रार्थीगण अपने ससुर/दादा की खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात में निहित अपने हिस्से से महरूम हो जायेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रार्थीगण जब दिनांक 01.09.2023 को वादग्रस्त आराजियात में निहित अपने हक हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण स्वयं के नाम दर्ज करवाने हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे तब उन्हे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 21.05.2020 की जानकारी हुई। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से दिनांक 18.09.2023 को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का निवेदन करने पर उनके द्वारा आराजियात को बेचान करने की खुले शब्दों में धमकी दी गई। इसलिए प्रार्थीगण को वाद प्रस्तुत करना पड़ा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 23.12.2024 को प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए एवं दिनांक 09.07.2025 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र नियत की गई। वरवक्त बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु इंकार करने पर वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में विवादित आराजियात पैतृक होने बाबत वर्णित कथन असत्य, निराधार एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है चूंकि विवादित आराजी मुतनाजा पुश्तैनी सम्पत्ति ना होकर घम्मूजी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.11.1971 से क्रयशुदा आराजियात होकर स्वअर्जित भूमि है एवं आराजियात में से नियमानुसार रजिस्टर्ड उपहार पत्र द्वारा दिनांक 11.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया एवं इसी आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 21.05.2020 तस्दीक किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आराजियात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित उपहार विलेख सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 123 की पालना की जाकर पंजीबद्ध किया गया है। यदि एक बार उपहार विलेख पूर्ण हो जाये तो उपहारकर्ता भी ऐसे विलेख को निरस्त नहीं कर सकता एवं एक बार वैध उपहार विलेख निष्पादित होने के पश्चात उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। अपने उक्त कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान AIR (SC) 2011 पेज 1695 व AIR (SC) 2009 पेज 211 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों की ओर आकर्षित किया। मुस्लिम विधि के सिद्धान्त के 22वें संस्करण की धारा 51 व 52 पेज संख्या 50 व 51 में प्रतिपादित किया गया है कि मुस्लिम विधि में सहदायिक सम्पत्ति जैसी कोई अवधारणा नहीं है और न ही पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी नियम है। विवादित आराजियात मुतनाजा पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है, ऐसी स्थिति में कानूनन बिना कब्जे के आधार पर

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है एवं प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उनका कथन है कि स्व0 घम्मूजी ने हुसैना बानो से कभी विवाह नहीं किया था एवं ना ही हुसैना बानो स्व0 घम्मूजी की पत्नि थी। फलस्वरूप प्रार्थिया के पति फैयाज मौहम्मद व छोटा पुत्र स्व0 मुमताज मौहम्मद का घम्मूजी के पुत्र होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार प्रार्थिया का अप्रार्थीगण से कोई रिश्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छिपाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रार्थिया द्वारा पूर्व में श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 5 अजमेर के समक्ष वाद संख्या 90/2023 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता उनवान गुरमीत कौर बनाम इलियास मौहम्मद प्रस्तुत किया गया था किन्तु न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2024 को प्रथम दृष्टया मामले के बिन्दु का निस्तारण करते हुए प्रथम दृष्टया कब्जा न्यायालय के समक्ष दर्शित नहीं किया है, केवल गवाहान के शपथ पत्र के आधार पर कब्जा प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, का आदेश पारित कर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को विस्तार से निस्तारित करते हुए कब्जे के अभाव में प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष एस0बी0 सिविल रिट पिटिशन संख्या 3595/2024 उनवान गुरमीत कौर बनाम मौहम्मद इलियास प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार मान0 न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होना नहीं माना है। प्रार्थीगण ने पूर्व में प्रस्तुत वाद में वाद कारण दिनांक 01.09.2023 अंकित किया है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद में वाद कारण दिनांक 11.07.2019 अंकित की गई है जो अस्पष्ट एवं विरोधाभासी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसलिये विपक्षी को वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मान0 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के समक्ष प्रस्तुत वाद के पश्चात प्रस्तुत किया है किन्तु वाद व प्रार्थना पत्र में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद व आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के प्रार्थना पत्र बाबत तथ्य अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र तथ्य छिपाते हुए झूठे शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। इस प्रकार कानूनन कोई व्यक्ति स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष वाद लेकर नहीं आता है तो न्यायालय किसी भी तरह से रात प्रदान नहीं कर सकता। अन्त में प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सत्यमेव जयते अजमेर

हमने प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों अर्थात तीनों घटकों का अध्ययन करने के उपरान्त उनके परिपेक्ष्य में निर्णय निम्नानुसार है:-

1. प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :- वादग्रस्त आराजियात मूल खातेदार घम्मू द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रयशुदा आराजियात होकर स्वअर्जित आराजी है ना कि पुश्तैनी सम्पत्ति। उक्त आराजियात को मूल खातेदार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड उपहार विलेख दिनांक 11.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में हस्तांतरण करने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 21.05.2020 तस्दीक किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आराजियात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं जो कि राजस्व अभिलेख से सिद्ध है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात पर अपना कब्जा होना प्रथम दृष्टया विचारण न्यायालय के समक्ष दर्शित नहीं किया है एवं ना ही अपने पक्ष

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

में कोई राजस्व अभिलेख ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण सिद्ध नहीं कर पाये हैं एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन :– प्रकरण में लिप्त भूमि घम्मू पुत्र ईदू बक्श की क्रयशुदा स्वअर्जित आराजियात है। जिस पर जरिये उपहार विलेख हस्तांतरण पश्चात से ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में सिद्ध है।

3. अपूर्णीय क्षति :– यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कारित होगी चूंकि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में सिद्ध है।

प्रार्थीगण तीनों ही बिन्दुओं पर अपना प्रकरण सिद्ध करने में असफल रहे परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधिसम्मत नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर, (मुख्यालय),
अजमेर

सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), सत्यमेव जयते, अजमेर

118 / 2024
गुरमीत कौर व अन्य बनाम मौ0 ईल्यास
अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19.01.2026	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण के बहस हेतु इंकार करने पर वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गई। मूल अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संग्रह भण्डार हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर	